

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 47-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 2-1-16 पारित
द्वारा तहसीलदार महेश्वर जिला खरगोन प्रकरण क्रमांक 16/अ-13/2014-15.

डोगर पिता औकार

निवासी मंदौरी तहसील महेश्वर

जिला खरगोन

.....आवेदक

विरुद्ध

बालमुकुन्द पिता शोभाराम पाटीदार

निवासी मंदौरी तहसील महेश्वर

जिला खरगोन

.....अनावेदक

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक

श्री एच.एन.फड़के, अभिभाषक, अनावेदक

॥ आ दे श ॥

(आज दिनांक २८/५/१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म०प्र०भ०-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता
कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील बड़वाह जिला
खरगोन द्वारा पारित आदेश 2-1-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महेश्वर जिला खरगोन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 9/4 में जाने हेतु परम्परागत रास्ता ग्राम मंदौरी से निकलकर उत्तर दिशा में चलकर गुलावड चिनगुन आम रास्ते से चिनगुन की ओर चलकर, पश्चात् मोहन पिता डालूराम की सर्वे नम्बर 6 की भूमि में स्थित आम रास्ते से तथा आवेदक की सर्वे क्रमांक 10/1 की भूमि के मध्य मेड पर पहुंचकर वहाँ से उत्तर की ओर चलकर सर्वे नम्बर 7/1 तथा 10/1 की मध्य मेड से चलकर सर्वे नम्बर 8 में पहुंचकर वहाँ से आगे चलकर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर सर्वे नम्बर 8 के मध्य की भूमि में अपनी सर्वे नम्बर 9/4 की भूमि में पहुंचता है। पूर्व में रास्ते का प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/1988-89 प्रचलित हुआ था जिसमें आवेदक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर उक्त मार्ग को स्वीकार किया गया है, परन्तु अब आवेदक प्रश्नाधीन मार्ग को अबरुद्ध कर रहा है, अतः रास्ता खुलवाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ-13/2014-15 दर्ज कर दिनांक 2-1-2016 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर आवेदक को 7 दिवस में स्वयं मार्ग से बाधा हटाकर न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में राजस्व निरीक्षक के कथन की अनदेखी की गई है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने कथन में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि आवेदक के खेत में जाने का रास्ता वर्तमान में मंदौरी-भुदरी कॉकड से सीधा रास्ता खसरा नम्बर 9/4 की ओर मौजूद है, जिससे आवेदक निकलना नहीं चाहता है। वर्तमान में आवेदक के खेत में कोई रास्ता नहीं है, अतः राजस्व निरीक्षक के कथन से ही स्पष्ट है कि अनावेदक के लिये सीधा रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी आवेदक के खेत से रास्ता चाहा है, जो कि नहीं दिया जा सकता है।

(2) तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि में से चाहे गये रास्ते पर मिर्च के पौधे व शेष भूमि पर कपास की फसल लगी हुई है, इस निष्कर्ष के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में आवेदक की खड़ी फसल पर से नवीन रास्ता दिलाये जाने का कोई कारण नहीं बताया है, जो कि प्रथमदृष्ट्या अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्व कमांक 9/4 की उत्तर मेड से लगकर मंदौरी-भुदरी कांकड़ का मार्ग विद्यमान है परन्तु यह मार्ग आवेदक उपयोग नहीं करता है, अतः यह मार्ग वैकल्पिक मार्ग नहीं हो सकता है। इस निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अनावेदक के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

(4) तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन एवं कुसंयोजन की बाधा आती है। प्रकरण में कौन से सर्व नम्बर का कौन भूमिस्वामी है और किसे पक्षकार बनाया गया है, इन तथ्यों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्ट्या अनावेदक के पास मंदौरी-भुदरी मार्ग पाते हुये भी आवेदक की खड़ी फसल में से रास्ता देने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में प्रकरण प्रचलित हुआ था जिसमें आवेदक ने शपथपूर्वक कथन करते हुये प्रश्नाधीन रास्ता होना स्वीकार किया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता मानते हुये रास्ता खोले जाने में किसी की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये तहसीलदार का आदेश इस न्यायालय में हस्तक्षेप योग्य नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना तथा उसे आवेदक

द्वारा अवरुद्ध करना पाते हुये अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है और प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहाँ आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से मौके पर प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकता है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बड़वाह जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 02-01-2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर